संख्या– 395 / XXVII / (7) / 2008

प्रेषक,

आलोक कुमार जैन,
प्रमुख सचिव, वित्त
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष उत्तराखण्ड।

वित्त (वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7 देहरादूनः दिनॉक 17 अक्टूबर, 2008

विषयः– वेतन समिति, उत्तराखण्ड (2008) के प्रथम प्रतिवेदन की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार राजकीय कर्मचारियों को दिनॉक 1–1–2006 से पुनरीक्षित वेतनमानों की स्वीकृति।

महोदय,

छठवे केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों पर केन्द्र सरकार द्वारा वेतनमान के सम्बन्ध में लिये गये निर्णय के आधार पर राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के विभिन्न वर्गों के शासकीय कर्मचारियों के वेतनमानों के पुनरीक्षण हेतु वेतन समिति का गठन संकल्प संख्या–262 / XXVII / (7) / 2008 दिनॉक 25 अगस्त, 2008 द्वारा किया गया। उक्त समिति द्वारा अपना प्रथम प्रतिवेदन शासन को दिनॉक 7 अक्टूबर, 2008 को प्रस्तुत किया गया था। उक्त प्रतिवेदन की संस्तुतियों को सम्यक विचारोपरान्त कतिपय संशोधनो के साथ संकल्प संख्या–394 / XXVII / (7) / 2008 दिनॉक 17 अक्टूबर, 2008 द्वारा स्वीकार कर लिया गया है।

2. वेतन समिति के प्रथम प्रतिवेदन को स्वीकार किये जाने के फलस्वरूप ऐसे राजकीय कर्मचारियों / अधिकारियों जो दिनॉकः 31–12–2005 को केन्द्र के समान वेतनमान प्राप्त कर रहे थे, के लिए दिनॉकः 01 जनवरी, 2006 से केन्द्र सरकार द्वारा पुनरीक्षित वेतनमान के समान संशोधित वेतन ढॉचे में संलग्नक–1 के कालम–2 में इंगित वर्तमान वेतनमान के स्थान पर कालम– 3 में इंगित वेतन बैंड (पे बैंड) / वेतनमान का नाम तथा उसके सादृश्य (करेस्पोन्डिंग) क्रमशः कालम–4 तथा 5 में इंगित वेतन बैंड / वेतनमान तथा ग्रेड वेतन (ग्रेड पे) स्वीकृत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3. किसी पद के संशोधित वेतन ढॉचे का तात्पर्य उसके कालम–2 में इंगित वर्तमान वेतनमान के स्थान पर क्रमशः कालम–4 तथा 5 में उल्लिखित वेतन बैंड / वेतनमान तथा ग्रेड वेतन से है।

4. वेतन बैंड में "वेतन" का तात्पर्य संलग्नक–1 के कालम–4 में दिये गये रनिंग वेतन बैंडो में आहरित वेतन तथा 'ग्रेड वेतन' का तात्पर्य पूर्व संशोधित वेतनमानों/पदों की प्रास्थिति पर देय धनराशि से है।

5. संशोधित वेतन ढॉचे में अब मूल वेतन, का तात्पर्य उस वेतन से होगा जो निर्धारित वेतन बैंड में अनुमन्य वेतन तथा लागू ग्रेड वेतन का योग होगा, परन्तु इसमें विशेष वेतन, वैयक्तिक वेतन आदि जैसा किसी अन्य प्रकार का वेतन शामिल नहीं है।

6. वेतन समिति के प्रथम प्रतिवेदन की संस्तुतियॉ लागू होने के फलस्वरूप राज्य कर्मचारियों को केन्द्र सरकार के समतुल्य वेतनमानों के विभिन्न सोपानों हेतु वर्तमान वेतनमान एवं उसके सोपानों हेतु संशोधित वेतन ढॉचे में वेतन निर्धारण संलग्नक–2 की फिटमेन्ट तालिका के अनुसार किया जायेगा।

7. संशोधित वेतन ढॉचे में वार्षिक वेतन वृद्धि की परिवर्तनीय दरों की व्यवस्था है। वार्षिक वेतन वृद्धि की दर वेतन बैंड में वेतन और लागू ग्रेड वेतन के योग का 3 प्रतिशत होगा, जिसे 10 के अगले गुणॉक में पूर्णांकित किया जायेगा। वेतन वृद्धि के निर्धारण के उदाहरण निम्नानुसार है:–

<u>उदाहरण</u> –1

1. वेतन बैंड–1 में वेतन (रू0 5200–20200)	–	रू0 5200/
2. ग्रेड वेतन	–	रू0 1800/
3. वेतन + ग्रेड वेतन का योग (1+2)	–	रू0 7000/
4. वेतन वृद्धि की दर	–	उपर्युक्त 3 का 3 प्रतिशत
5. वेतन वृद्धि की राशि	–	रू0 210
6. वेतन वृद्धि के बाद वेतन बैंड में वेतन	–	रू0 5200 + 210= रू0 5410
7. लागू ग्रेड वेतन	–	रू0 1800/

उदाहरण –2

1. वेतन बैंड–2 में वेतन (रू0 9300–34800)	–	रू0 9300/
2. ग्रेड वेतन	–	रू0 4200/
3. वेतन + ग्रेड वेतन का योग (1+2)	–	रू0 13500/
4. वेतन वृद्धि की दर	–	उपर्युक्त 3 का 3 प्रतिशत
5. वेतन वृद्धि की राशि	–	रू0 405 पूर्णांकित रू0 410
6. वेतन वृद्धि के बाद वेतन बैंड में वेतन	–	रू0 9300 + रू0 410= रू0 9710
7. लागू ग्रेड वेतन	–	रू0 4200/

8. वार्षिक वेतन वृद्धि की तिथि प्रत्येक वर्ष की 01 जनवरी अथवा 01 जुलाई होगी। ऐसे कर्मचारी जिनकी वेतन वृद्धि की तिथि 01–1–2006 से 30–6–2006 के मध्य है उनको वार्षिक वेतन वृद्धि दिनॉक 1–1–2006 को दी जायेगी तथा जिन कर्मचारियों की वेतन वृद्धि की तिथि 1–7–2006 से 31–12–2006 के मध्य होगी उन्हें वार्षिक वेतन वृद्धि दिनॉक 1–7–2006 को दी जायेगी। भविष्य में भी वार्षिक वेतन वृद्धि प्रत्येक वर्ष उक्तानुसार 01 जनवरी तथा 01 जुलाई को ही अनुमन्य कराई जायेगी। जिन कर्मचारियों की वेतन वृद्धि की तिथि 1–1–2006 है ऐसे कर्मचारियों को पूर्व वेतनमान में वेतन वृद्धि अनुमन्य कराने के बाद संशोधित वेतन ढॉचे के वेतन बैंड में वेतन निर्धारण किया जाय तथा अगामी वेतन वृद्धि दिनॉक 1–1–2007 को अनुमन्य होगी।

9. जब कोई कर्मचारी अपने वेतन बैंड के अधिकतम स्तर पर पहुॅच जायेगा, तो उसे अधिकतम स्तर पर पहुचने के एक वर्ष बाद अगले उच्चतर वेतन बैंड में रख दिया जायेगा। उच्चतर बैंड में स्थापन के समय पूर्व प्राप्त मूल वेतन पर एक वेतन वृद्धि का लाभ दिया जायेगा परन्तु पद का ग्रेड वेतन पूर्ववत रहेगा। उच्चतर वेतन बैंड में तब तक उन्नयन होगा जब तक वेतन बैंड–4 के अधिकतम तक नहीं पहुॅच जाता और उसके पश्चात उसे और कोई वेतन वृद्धि नहीं दी जायेगी।

10. ऐसे प्रकरणो में जहॉ दो वर्तमान वेतनमानों, को एक ही वेतन बैंड तथा एक ही ग्रेड वेतन अनुमन्य कराया गया है, यदि कनिष्ठ कर्मचारी वेतन संशोधन के पूर्व अपने से वरिष्ठ कर्मचारी के समान अथवा कम वेतन पा रहा हो तथा संशोधित वेतन ढाँचे में वेतन बैंड में वह अपने वरिष्ठ कर्मचारी की तुलना में अधिक वेतन प्राप्त करे, तो वरिष्ठ कर्मचारी को वेतन बैंड में वेतन उसी दिनॉक से कनिष्ठ कर्मचारी के वेतन के बराबर निर्धारित किया जाय तथा वरिष्ठ कर्मचारी को अगली वेतन वृद्धि प्रस्तर –8 के अनुसार अनुमन्य होगी।

11. जहॉ सरकारी कर्मचारी मौजूदा वेतनमान में अपना वेतन लेना जारी रखता है और उसे 01 जनवरी, 2006 के बाद की तारीख से संशोधित वेतन ढॉचे में लाया जाता है, तो संशोधित वेतन ढाँचे में बाद की तारीख से उसका वेतन निम्न प्रकार निर्धारित होगाः–

वेतन बैंड में वेतन का निर्धारण बाद की तिथि में लागू मूल वेतन को जोड़ते हुए किया जायेगा। उस तिथि को लागू मंहगॉई वेतन और पूर्व संशोधित मंहगॉई भत्ता दिनॉक 01 जनवरी, 2006 को यथा विद्यमान दरों पर आधारित होगा। यह संख्या 10 के अगले गुणॉक से गुणा की जायेगी और इस प्रकार निकाली गयी संख्या ही लागू वेतन बैंड में वेतन होगा। इसके अतिरिक्त पूर्व संशोधित वेतनमान के अनुरूप ग्रेड वेतन भी देय होगा।

12. संशोधित वेतन ढॉचे में पदोन्नति अब दो प्रकार से सम्भव हो सकती हैः–

1– एक ही वेतन बैंड के अन्दर एक ग्रेड वेतन से दूसरे ग्रेड वेतन में पदोन्नति।

2– एक वेतन बैंड से दूसरे वेतन बैंड में पदोन्नति।

दिनॉक 01 जनवरी, 2006 को या उसके पश्चात संशोधित वेतन ढॉचे में एक ग्रेड पे से दूसरे ग्रेड पे में पदोन्नति की स्थिति में वेतन निर्धारण निम्नानुसार किया जायेगाः–

वेतन बैंड में वेतन में अनुमन्य ग्रेड वेतन जोड़ कर इसके 03 प्रतिशत की धनराशि को 10 के अगले गुणॉक में पूर्णांकित किया जायेगा। इस धनराशि को वेतन बैंड में मौजूदा वेतन मे जोड़ दिया जायेगा। इसके बाद वेतन बैंड में इस वेतन के अतिरिक्त पदोन्नत पद के समकक्ष ग्रेड वेतन में वेतन प्रदान किया जायेगा। जहॉ पदोन्नति में वेतन बैंड में परिवर्तन भी हो ऐसी स्थिति में इसी प्रविधान के अनुसार कार्यवाही की जायेगी तथापि प्रोन्नति के ठीक पूर्व प्राप्त वेतन वृद्धि जोड़ने के बाद जहॉ वेतन बैंड में वेतन पदोन्नति वाले पद के उच्च वेतन बैंड के न्यूनतम से कम होगा तो इस वेतन को उक्त वेतन बैंड में न्यूनतम के बराबर बढ़ा दिया जायेगा।

13. केन्द्र सरकार के उक्त वेतनमानों को लागू करने पर रनिंग पे बैंड की जो व्यवस्था की गयी है, उसमें वेतन बैंड का विस्तार (स्पैन) काफी अधिक है तथा वेतनमान के अधिकतम पर पहुॅचने की स्थिति में अगला वेतन बैंड अनुमन्य है। स्पष्टतः किसी भी कर्मचारी के प्रकरण में सामान्यतः अधिकतम वेतन पर वेतन वृद्धि रोध (Stagnation) की स्थिति नहीं आयेगी। अतः राज्य सरकार में लागू समयमान वेतनमान की व्यवस्था समाप्त की जाती है । चयन/प्रोन्नति उसी स्तर पर अनुमन्य होंगे जहॉ पर ग्रेड वेतन अथवा वेतन बैंड में परिवर्तन हो रहा है। दिनॉक 31–8–2008 तक स्वीकृत हो चुके समयमान वेतनमान के प्रकरणों में अनुमन्य वेतनमान के सापेक्ष वेतन बैंड में प्रतिस्थापित किया जायेगा परन्तु ग्रेड पे पद की प्रास्थिति के अनुरूप होगी। उक्त तिथि के उपरान्त समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत कोई लाभ अनुमन्य नहीं किया जायेगा।

14. भारत सरकार द्वारा वेतनमान रू0 8000–275–13500 के वेतनमान को वेतन बैंड–2 तथा वेतन बैंड–3 में रखा गया है। राज्य में दिनॉक 1–1–1986 से ही सीधी भर्ती एवं प्रोन्नति प्राप्त अधिकारियों को समान वेतनमान अनुमन्य था, जिसे दिनॉक 01 जनवरी, 1996 से रू0 8000–275–13500 में पुनरीक्षित किया गया। । अतः वेतनमान रू0 8000–275–13500 को वेतन बैंड–3 में रखा जाय।

15. दिनॉक 01 जनवरी, 2006 से संशोधित वेतन ढॉचे मे चयन का विकल्प लिखित रूप से संलग्नक–3 पर उपलब्ध फार्म पर देना होगा। उक्त विकल्प सम्बन्धित सरकारी सेवक द्वारा अपने कार्यालयाध्यक्ष/ विभागाध्यक्ष/ नियुक्ति प्राधिकारी/वेतन पर्ची जारी करने वाले अधिकारी को इस शासनादेश के जारी होने के दिनॉक से 90 दिन के अन्दर दे दिया जाय।

16. उपर्युक्तानुसार दिए गए विकल्प की सम्बन्धित अधिकारी द्वारा प्राप्ति स्वीकार कर वेतन निर्धारण आदेश/वेतन पर्ची निर्गत कर तथा इसकी प्रति सेवा पुस्तिका पर चस्पा कर एक प्रति सम्बन्धित कोषागार को प्रेषित की जाय।

17. यदि सरकारी कर्मचारी का लिखित विकल्प उक्तानुसार निर्धारित अवधि के अन्दर प्राप्त नहीं होता तो यह मान लिया जायेगा कि उसने नये संशोधित वेतनमान द्वारा शासित चयन होने का चयन कर लिया है और उसे 01 जनवरी, 2006 से संशोधित वेतन ढॉचे के अनुसार वेतन दिया जायेगा।

18. एक बार जो विकल्प दे दिया जायेगा उसे ही अन्तिम माना जायेगा और इसमें में कोई परिवर्तन सम्भव नहीं होगा।

19. जहॉ कोई सरकारी कर्मचारी दिनॉक 01 जनवरी 2006 को निलम्बित हो तथा उसके डयूटी पर वापस आने की तारीख, इस शासनादेश के जारी होने को तिथि के बाद की हो तो वह अपने कार्य दिवस पर लौटने के तीन माह के अन्दर लिखित विकल्प दे सकता है। निलम्बित सरकारी सेवक वर्तमान वेतनमान के आधार पर जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त करता रहेगा तथा संशोधित वेतन ढॉचे में उसका वेतन लम्बित अनुशासनात्मक कार्यवाही पर अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

20. जिन कर्मचारियों की सेवा दिनॉक 01 जनवरी, 2006 को या उसके बाद समाप्त कर दी गई है अथवा जो स्वीकृत पदों की समाप्ति के कारण सेवामुक्त कर दिए गए हों, सेवात्याग (इस्तीफा) अनुशासनहीनता के कारणों से सेवामुक्त या बरखास्त किए गए हो, को भी विकल्प की उक्त सुविधा अनुमन्य होगी।

21. जो सरकारी सेवक दिनॉक 01 जनवरी, 2006 को या उसके बाद दिवंगत हो गए और इस कारण निर्धारित समय सीमा के अन्दर संशोधित वेतन ढॉचे के लिए चयन का विकल्प नहीं दे सके, उनके मामले में भी यह मान लिया जाएगा कि उन्होंने दिनॉक 01 जनवरी, 2006 से या उसके बाद की किसी भी तिथि से, जो उनके आश्रितों के लिए लाभप्रद हो, संशोधित वेतन ढॉचे में वेतन निर्धारण कार्यालयाध्यक्ष द्वारा किया जायेगा और बकाया राशि के भुगतान के लिए तत्सम्बन्धी उचित कार्यवाही की जायेगी।

22. जो सरकारी सेवक दिनॉक 01 जनवरी, 2006 को अर्जित अवकाश अथवा अन्य किसी अवकाश, जो उन्हें अवकाश का हकदार बनाता है, उन्हें अवकाश के इस नियम के लाभ मिलेंगे और तद्नुसार ही अवकाश वेतन आदि प्राप्त होगा।

23. जो कर्मचारी नई पेंशन योजना से आच्छादित हैं उनको देय अवशेषों में से योजना के अधीन देय होने वाले अंशदान के बराबर की धनराशि की कटौती कर ली जाएगी तथा राज्य सरकार भी उसके समतुल्य अपना अंशदान योजना में जमा करेगी।

24. वेतन समिति की संस्तुतियॉ लागू होने के फलस्वरूप पुनरीक्षित वेतनमानो में संशोधित दरों पर देय महगॉई भत्ते के आदेश पृथक से प्रसारित किये जा रहे हैं।

25. शासन द्वारा जब तक अन्य भत्ते पुनरीक्षित नहीं किए जाते तब तक अन्य सभी भत्ते पूर्व की भॉति पुराने वेतनमान के स्तर पर ही देय होगें।

26. सचिवालय में तैनात विभिन्न सेवा के अधिकारियों के लिए मूल वेतन, विशेष वेतन, विशेष भत्ता, वैयक्तिक वेतन आदि के योग की अधिकतम सीमा रू0 22400 प्रति माह से अधिक नहीं होती है। दिनॉक 1–1–2006 से नये संशोधित वेतन ढॉचे में वेतन निर्धारण के फलस्वरूप उक्त सीमा में वृद्धि होने पर सम्बन्धित अधिकारी से दिनॉक 31–10–2008 तक विशेष वेतन/भत्ते की धनराशि की कोई वसूली नहीं की जाएगी तथा अब तक अनुमन्य हो रहे विशेष वेतन /भत्ते को इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय लिए जाने तक स्थगित रखा जायेगा।

27. ऐसे पदों जिनके वेतनमानों में दिनॉक 1 जनवरी, 2006 से पूर्व केन्द्र से समानता थी तथा जिनके वेतनमानों में दिनॉक 1 जनवरी, 2006 के पश्चात संशोधन /उच्चीकरण हुआ है। उन पदों के लिए संशोधन/उच्चीकरण के दिनॉक से संशोधित/उच्चीकृत वेतनमान के सादृश्य संशोधित वेतन ढॉचे में वेतन बैंड तथा ग्रेड पे अनुमन्य होगी। परन्तु यदि पद के वेतनमान में संशोधन/उच्चीकरण के फलस्वरूप संशोधित वेतन ढॉचे में पे बैंड में परिवर्तन हो रहा है तब पद का वेतन नये पे बैंड के न्यूनतम से कम होने पर पे बैंड के न्यूनतम पर निर्धारित करते हुए तथा पद की प्रास्थिति यथावत् रखते हुए पद की प्रास्थिति के अनुरूप ग्रेड पे अनुमन्य होगी। अर्थात् इस प्रकार के मामलो में केवल वेतन बैंड परिवर्तित होगा तथा पद की ग्रेड पे तथा पद की प्रास्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

28. चूकि राज्य सरकार द्वारा केन्द्र सरकार के वेतनमानों के अनुरूप दिनॉक 01 जनवरी, 2006 से वेतनमान संशोधित किए जा रहे है; अतः सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग तदनुसार विभिन्न सेवा संवर्गो की सेवा नियमावली एवं संगठनात्मक ढॉचों में संशोधन की कार्यवाही प्राथमिकता पर कर लेगें।

29. राज्य कर्मचारियों के पुनरीक्षित वेतनमान एवं महगॉई भत्ते का दिनॉक 1–9–2008 से नगद भुगतान किया जायेगा और दिनॉक 1–1–2006 से दिनॉक 31–8–2008 तक के पुनरीक्षित वेतनमानों में देय वेतन का अवशेष को दो किश्तो में भुगतान किया जायेगा प्रथम किश्त के रूप में 40 प्रतिशत के अवशेष का भुगतान वर्ष 2008–2009 में तथा द्वितीय किश्त के रूप में 60 प्रतिशत के अवशेष का भुगतान वर्ष 2009–2010 में किया जाएगा। अवशेष का भुगतान करते समय देय आयकर धनराशि की कटौती के बाद शेष बची धनराशि सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा करायी जाएगी । जिन कर्मियों के भविष्य निधि खाते नहीं है उन्हें राष्ट्रीय बचत पत्र के रूप में दी जाएगी। ऐसे कर्मी जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं अथवा 6 माह के अन्दर सेवानिवृत्त हो रहे हैं, के भुगतान नकद में किया जाएगा।

30. इस शासनादेश द्वारा केवल ऐसे राजकीय अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतनमान संशोधित किए जा रहे है, जो दिनॉक 31–12–2005 को केन्द्र के समान वेतनमान प्राप्त कर रहें थे। चूँकि इस शासनादेश द्वारा केन्द्र सरकार द्वारा पुनरीक्षित वेतनमान के अनुरूप रिप्लेसमेन्ट स्केल ही स्वीकृति किए जा रहें हैं। अतः उक्त अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतनमान पूर्व उल्लिखित प्रस्तरो के अधीन पुनरीक्षित माने जायेगे और इनके लिए शासन के विभिन्न विभागों द्वारा पृथक से आदेश निर्गत करने की आवश्यकता नहीं होगी।

31. ऐसे राजकीय अधिकारियों/कर्मचारियों जो दिनॉक 31–12–2005 को केन्द्र के समान वेतनमान प्राप्त नहीं कर रहे थे उन्हें केन्द्र सरकार द्वारा पुनरीक्षित वेतनमान के समान संशोधित वेतन ढॉचे में वेतनमान की स्वीकृति वित्त विभाग की सहमति के उपरान्त ही दी जायेगी।

संलग्नक–

(1) पुनरीक्षित किये जा रहे वेतनमान।
(2) वेतन निर्धारण हेतु फिटमेन्ट तालिका।
(3) पुनरीक्षित वेतनमान के विकल्प का प्रारूप।

भवदीय,

(आलोक कुमार जैन)
प्रमुख सचिव।

संख्या– 395 (1) / **XXVII** / (7) / 2008 तद्दिनॉक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– माननीय राज्यपाल महोदय के सचिव।
2– सचिव, विधानसभा उत्तराखण्ड।
3– रजिस्ट्रार, हाईकोर्ट, उत्तराखण्ड।
4– समस्त कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5– उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,

(टी0एन0सिंह)
अपर सचिव।

संख्या– 395 (2) / **XXVII** / (7) / 2008 तद्दिनॉक

प्रतिलिपि महालेखाकार, उत्तराखण्ड ओबराय मोटर्स बिल्डिग माजरा, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

(टी0एन0सिंह)
अपर सचिव।

शासनादेश संख्या–395/xxvii(7)/2008 का संलग्नक–1

वर्तमान वेतनमान		दिनांक 01–01–2006 से संशोधित वेतन संरचना/ढाँचा		
क्र0 सं0	वर्तमान वेतनमान (दिनांक 01–01–2006 के पूर्व)	वेतन बैंड/ वेतनमान का नाम	सादृश्य वेतन बैंड/ वेतनमान	सादृश्य ग्रेड वेतन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	2550–55–2660–60–3200	–1एस	4440–7440	1300
2	2610–60–3150–65–3540	–1एस	4440–7440	1400
3	2650–65–3300–70–4000	–1एस	4440–7440	1650
4	2750–70–3800–75–4400	वेतन बैंड–1	5200–20200	1800
5	3050–75–3950–80–4590	वेतन बैंड–1	5200–20200	1900
6	3200–85–4900	वेतन बैंड–1	5200–20200	2000
7	4000–100–6000	वेतन बैंड–1	5200–20200	2400
8	4500–125–7000	वेतन बैंड–1	5200–20200	2800
9	4500–125–7250	वेतन बैंड–1	5200–20200	2800
10	5000–150–8000	वेतन बैंड–2	9300–34800	4200
11	5500–175–9000	वेतन बैंड–2	9300–34800	4200
12	6500–200–10500	वेतन बैंड–2	9300–34800	4200
13	7450–225–11500	वेतन बैंड–2	9300–34800	4600
14	7500–250–12000	वेतन बैंड–2	9300–34800	4800
15	8000–275–13500	वेतन बैंड–3	15600–39100	5400
16	8550–275–14600	वेतन बैंड–3	15600–39100	6600
17	10000–325–15200	वेतन बैंड–3	15600–39100	6600
18	10650–325–15850	वेतन बैंड–3	15600–39100	6600
19	12000–375–16500	वेतन बैंड–3	15600–39100	7600
20	14300–400–18300	वेतन बैंड–4	37400–67000	8700
21	16400–450–20000	वेतन बैंड–4	37400–67000	8900
22	18400–500–22400	वेतन बैंड–4	37400–67000	10000
23	22400–525–24500	वेतन बैंड–4	37400–67000	12000
24	26000 (नियत)	शीर्षस्थ वेतनमान	80000 (नियत)	शून्य

शासनादेश संख्या–395/XXVii(7)/2008 का संलग्नक–2

Fitment Tables

Pre-revised scale
Rs.2550-55-2660-60-3200

Revised Pay Band + Grade Pay
-1S Rs.4440-7440 + Rs.1300

Pre-revised Basic Pay	Revised Pay		
	Pay in the Pay Band	Grade Pay	Revised Basic Pay
2,550	4,750	1,300	6,050
2,605	4,850	1,300	6,150
2,660	4,950	1,300	6,250
2,720	5,060	1,300	6,360
2,780	5,180	1,300	6,480
2,840	5,290	1,300	6,590
2,900	5,400	1,300	6,700
2,960	5,510	1,300	6,810
3,020	5,620	1,300	6,920
3,080	5,730	1,300	7,030
3,140	5,840	1,300	7,140
3,200	5,960	1,300	7,260
3,260	*6,070*	*1,300*	*7,370*
3,320	*6,180*	*1,300*	*7,480*
3,380	*6,290*	*1,300*	*7,590*

Pre-revised scale
Rs.2610-60-3150-65-3540

Revised Pay Band + Grade Pay
-1S Rs.4440-7440 + Rs.1400

Pre-revised Basic Pay	Revised Pay		
	Pay in the Pay Band	Grade Pay	Revised Basic Pay
2,610	4,860	1,400	6,260
2,670	4,970	1,400	6,370
2,730	5,080	1,400	6,480
2,790	5,190	1,400	6,590
2,850	5,310	1,400	6,710
2,910	5,420	1,400	6,820
2,970	5,530	1,400	6,930
3,030	5,640	1,400	7,040
3,090	5,750	1,400	7,150
3,150	5,860	1,400	7,260
3,215	5,980	1,400	7,380
3,280	6,110	1,400	7,510
3,345	6,230	1,400	7,630
3,410	6,350	1,400	7,750
3,475	6,470	1,400	7,870
3,540	6,590	1,400	7,990
3,605	*6,710*	*1,400*	*8,110*
3,670	*6,830*	*1,400*	*8,230*
3,735	*6,950*	*1,400*	*8,350*

Pre-revised scale
Rs.2650-65-3300-70-4000

Revised Pay Band + Grade Pay
-1S Rs.4440-7440 + Rs.1650

Pre-revised Basic Pay	Revised Pay		
	Pay in the Pay Band	Grade Pay	Revised Basic Pay
2,650	4,930	1,650	6,580
2,715	5,050	1,650	6,700
2,780	5,180	1,650	6,830
2,845	5,300	1,650	6,950
2,910	5,420	1,650	7,070
2,975	5,540	1,650	7,190
3,040	5,660	1,650	7,310
3,105	5,780	1,650	7,430
3,170	5,900	1,650	7,550
3,235	6,020	1,650	7,670
3,300	6,140	1,650	7,790
3,370	6,270	1,650	7,920
3,440	6,400	1,650	8,050
3,510	6,530	1,650	8,180
3,580	6,660	1,650	8,310
3,650	6,790	1,650	8,440
3,720	6,920	1,650	8,570
3,790	7,050	1,650	8,700
3,860	7,180	1,650	8,830
3,930	7,310	1,650	8,960
4,000	7,440	1,650	9,090
4,070	***7,570***	***1,650***	***9,220***
4,140	***7,700***	***1,650***	***9,350***
4,210	***7,840***	***1,650***	***9,490***

Pre-revised scale ..
Rs.2750-70-3800-75-4400

Revised Pay Band + Grade Pay
PB-1 Rs.5200 -20200 + Rs.1800

Pre-revised Basic Pay	Revised Pay		
	Pay in the Pay Band	Grade Pay	Revised Basic Pay
2,750	5,530	1,800	7,330
2,820	5,530	1,800	7,330
2,890	5,700	1,800	7,500
2,960	5,700	1,800	7,500
3,030	5,880	1,800	7,680
3,100	5,880	1,800	7,680
3,170	6,060	1,800	7,860
3,240	6,060	1,800	7,860
3,310	6,160	1,800	7,960
3,380	6,290	1,800	8,090
3,450	6,420	1,800	8,220
3,520	6,550	1,800	8,350
3,590	6,680	1,800	8,480
3,660	6,810	1,800	8,610
3,730	6,940	1,800	8,740
3,800	7,070	1,800	8,870
3,875	7,210	1,800	9,010
3,950	7,350	1,800	9,150
4,025	7,490	1,800	9,290
4,100	7,630	1,800	9,430
4,175	7,770	1,800	9,570
4,250	7,910	1,800	9,710
4,325	8,050	1,800	9,850
4,400	8,190	1,800	9,990
4,475	8,330	1,800	10,130
4,550	8,470	1,800	10,270
4,625	8,610	1,800	10,410

Pre-revised scale
Rs.3050-75-3950-80-4590

Revised Pay Band + Grade Pay
PB-1 Rs.5200 -20200 + Rs.1900

Pre-revised Basic Pay	Revised Pay		
	Pay in the Pay Band	Grade Pay	Revised Basic Pay
3,050	5,880	1,900	7,780
3,125	6,060	1,900	7,960
3,200	6,060	1,900	7,960
3,275	6,100	1,900	8,000
3,350	6,240	1,900	8,140
3,425	6,380	1,900	8,280
3,500	6,510	1,900	8,410
3,575	6,650	1,900	8,550
3,650	6,790	1,900	8,690
3,725	6,930	1,900	8,830
3,800	7,070	1,900	8,970
3,875	7,210	1,900	9,110
3,950	7,350	1,900	9,250
4,030	7,500	1,900	9,400
4,110	7,650	1,900	9,550
4,190	7,800	1,900	9,700
4,270	7,950	1,900	9,850
4,350	8,100	1,900	10,000
4,430	8,240	1,900	10,140
4,510	8,390	1,900	10,290
4,590	8,540	1,900	10,440
4,670	8,690	1,900	10,590
4,750	8,840	1,900	10,740
4,830	8,990	1,900	10,890

Pre-revised scale
Rs.3200-85-4900

Revised Pay Band + Grade Pay
PB-1 Rs.5200-20200 + Rs.2000

Pre-revised Basic Pay	Revised Pay		
	Pay in the Pay Band	Grade Pay	Revised Basic Pay
3,200	6,060	2,000	8,060
3,285	6,110	2,000	8,110
3,370	6,270	2,000	8,270
3,455	6,430	2,000	8,430
3,540	6,590	2,000	8,590
3,625	6,750	2,000	8,750
3,710	6,910	2,000	8,910
3,795	7,060	2,000	9,060
3,880	7,220	2,000	9,220
3,965	7,380	2,000	9,380
4,050	7,540	2,000	9,540
4,135	7,700	2,000	9,700
4,220	7,850	2,000	9,850
4,305	8,010	2,000	10,010
4,390	8,170	2,000	10,170
4,475	8,330	2,000	10,330
4,560	8,490	2,000	10,490
4,645	8,640	2,000	10,640
4,730	8,800	2,000	10,800
4,815	8,960	2,000	10,960
4,900	9,120	2,000	11,120
4,985	9,280	2,000	11,280
5,070	9,430	2,000	11,430
5,155	9,590	2,000	11,590

Pre-revised scale
Rs.4000-100-6000

Revised Pay Band + Grade Pay
PB-1 Rs.5200-20200 + Rs.2400

Pre-revised Basic Pay	Revised Pay		
	Pay in the Pay Band	Grade Pay	Revised Basic Pay
4,000	7,440	2,400	9,840
4,100	7,630	2,400	10,030
4,200	7,820	2,400	10,220
4,300	8,000	2,400	10,400
4,400	8,190	2,400	10,590
4,500	8,370	2,400	10,770
4,600	8,560	2,400	10,960
4,700	8,750	2,400	11,150
4,800	8,930	2,400	11,330
4,900	9,120	2,400	11,520
5,000	9,300	2,400	11,700
5,100	9,490	2,400	11,890
5,200	9,680	2,400	12,080
5,300	9,860	2,400	12,260
5,400	10,050	2,400	12,450
5,500	10,230	2,400	12,630
5,600	10,420	2,400	12,820
5,700	10,610	2,400	13,010
5,800	10,790	2,400	13,190
5,900	10,980	2,400	13,380
6,000	11,160	2,400	13,560
6,100	11,350	2,400	13,750
6,200	11,540	2,400	13,940
6,300	11,720	2,400	14,120

Pre-revised scale
Rs.4500-125-7000

Revised Pay Band + Grade Pay
PB-1 Rs.5200-20200 + Rs.2800

Pre-revised Basic Pay	Revised Pay		
	Pay in the Pay Band	Grade Pay	Revised Basic Pay
4,500	8,370	2,800	11,170
4,625	8,610	2,800	11,410
4,750	8,840	2,800	11,640
4,875	9,070	2,800	11,870
5,000	9,300	2,800	12,100
5,125	9,540	2,800	12,340
5,250	9,770	2,800	12,570
5,375	10,000	2,800	12,800
5,500	10,230	2,800	13,030
5,625	10,470	2,800	13,270
5,750	10,700	2,800	13,500
5,875	10,930	2,800	13,730
6,000	11,160	2,800	13,960
6,125	11,400	2,800	14,200
6,250	11,630	2,800	14,430
6,375	11,860	2,800	14,660
6,500	12,090	2,800	14,890
6,625	12,330	2,800	15,130
6,750	12,560	2,800	15,360
6,875	12,790	2,800	15,590
7,000	13,020	2,800	15,820
7,125	13,260	2,800	16,060
7,250	13,490	2,800	16,290
7,375	13,720	2,800	16,520

Pre-revised scale
Rs.5000-150-8000

Revised Pay Band + Grade Pay
PB-2 Rs.9300-34800 + Rs.4200

Pre-revised Basic Pay	Revised Pay		
	Pay in the Pay Band	Grade Pay	Revised Basic Pay
5,000	9,300	4,200	13,500
5,150	9,580	4,200	13,780
5,300	9,860	4,200	14,060
5,450	10,140	4,200	14,340
5,600	10,420	4,200	14,620
5,750	10,700	4,200	14,900
5,900	10,980	4,200	15,180
6,050	11,260	4,200	15,460
6,200	11,540	4,200	15,740
6,350	11,820	4,200	16,020
6,500	12,090	4,200	16,290
6,650	12,370	4,200	16,570
6,800	12,650	4,200	16,850
6,950	12,930	4,200	17,130
7,100	13,210	4,200	17,410
7,250	13,490	4,200	17,690
7,400	13,770	4,200	17,970
7,550	14,050	4,200	18,250
7,700	14,330	4,200	18,530
7,850	14,610	4,200	18,810
8,000	14,880	4,200	19,080
8,150	15,160	4,200	19,360
8,300	15,440	4,200	19,640
8,450	15,720	4,200	19,920

Pre-revised scale
Rs.5500-175-9000

Revised Pay Band + Grade Pay
PB-2 Rs.9300-34800 + Rs.4200

Pre-revised Basic Pay	Revised Pay		
	Pay in the Pay Band	Grade Pay	Revised Basic Pay
5,500	10,230	4,200	14,430
5,675	10,560	4,200	14,760
5,850	10,890	4,200	15,090
6,025	11,210	4,200	15,410
6,200	11,540	4,200	15,740
6,375	11,860	4,200	16,060
6,550	12,190	4,200	16,390
6,725	12,510	4,200	16,710
6,900	12,840	4,200	17,040
7,075	13,160	4,200	17,360
7,250	13,490	4,200	17,690
7,425	13,820	4,200	18,020
7,600	14,140	4,200	18,340
7,775	14,470	4,200	18,670
7,950	14,790	4,200	18,990
8,125	15,120	4,200	19,320
8,300	15,440	4,200	19,640
8,475	15,770	4,200	19,970
8,650	16,090	4,200	20,290
8,825	16,420	4,200	20,620
9,000	16,740	4,200	20,940
9,175	17,070	4,200	21,270
9,350	17,400	4,200	21,600
9,525	17,720	4,200	21,920

Pre-revised scale
Rs.6500-200-10500

Revised Pay Band + Grade Pay
PB-2 Rs.9300-34800 + Rs.4200

Pre-revised Basic Pay	Revised Pay		
	Pay in the Pay Band	Grade Pay	Revised Basic Pay
6,500	12,090	4,200	16,290
6,700	12,470	4,200	16,670
6,900	12,840	4,200	17,040
7,100	13,210	4,200	17,410
7,300	13,580	4,200	17,780
7,500	13,950	4,200	18,150
7,700	14,330	4,200	18,530
7,900	14,700	4,200	18,900
8,100	15,070	4,200	19,270
8,300	15,440	4,200	19,640
8,500	15,810	4,200	20,010
8,700	16,190	4,200	20,390
8,900	16,560	4,200	20,760
9,100	16,930	4,200	21,130
9,300	17,300	4,200	21,500
9,500	17,670	4,200	21,870
9,700	18,050	4,200	22,250
9,900	18,420	4,200	22,620
10,100	18,790	4,200	22,990
10,300	19,160	4,200	23,360
10,500	19,530	4,200	23,730
10,700	*19,910*	*4,200*	*24,110*
10,900	*20,280*	*4,200*	*24,480*
11,100	*20,650*	*4,200*	*24,850*

Pre-revised scale
Rs.7450-225-11500

Revised Pay Band + Grade Pay
PB-2 Rs.9300-34800 + Rs.4600

Pre-revised Basic Pay	Revised Pay		
	Pay in the Pay Band	Grade Pay	Revised Basic Pay
7,450	13,860	4,600	18,460
7,675	14,280	4,600	18,880
7,900	14,700	4,600	19,300
8,125	15,120	4,600	19,720
8,350	15,540	4,600	20,140
8,575	15,950	4,600	20,550
8,800	16,370	4,600	20,970
9,025	16,790	4,600	21,390
9,250	17,210	4,600	21,810
9,475	17,630	4,600	22,230
9,700	18,050	4,600	22,650
9,925	18,470	4,600	23,070
10,150	18,880	4,600	23,480
10,375	19,300	4,600	23,900
10,600	19,720	4,600	24,320
10,825	20,140	4,600	24,740
11,050	20,560	4,600	25,160
11,275	20,980	4,600	25,580
11,500	21,390	4,600	25,990
11,725	21,810	4,600	26,410
11,950	22,230	4,600	26,830
12,175	22,650	4,600	27,250

Pre-revised scale
Rs.7500-250-12000

Revised Pay Band + Grade Pay
PB-2 Rs.9300-34800 + Rs.4800

Pre-revised Basic Pay	Revised Pay		
	Pay in the Pay Band	Grade Pay	Revised Basic Pay
7,500	13,950	4,800	18,750
7,750	14,420	4,800	19,220
8,000	14,880	4,800	19,680
8,250	15,350	4,800	20,150
8,500	15,810	4,800	20,610
8,750	16,280	4,800	21,080
9,000	16,740	4,800	21,540
9,250	17,210	4,800	22,010
9,500	17,670	4,800	22,470
9,750	18,140	4,800	22,940
10,000	18,600	4,800	23,400
10,250	19,070	4,800	23,870
10,500	19,530	4,800	24,330
10,750	20,000	4,800	24,800
11,000	20,460	4,800	25,260
11,250	20,930	4,800	25,730
11,500	21,390	4,800	26,190
11,750	21,860	4,800	26,660
12,000	22,320	4,800	27,120
12,250	22,790	4,800	27,590
12,500	23,250	4,800	28,050
12,750	23,720	4,800	28,520

Pre-revised scale
Rs.8000-275-13500

Revised Pay Band + Grade Pay
PB-3 Rs.15600-39100 + 5400

Pre-revised Basic Pay	Revised Pay		
	Pay in the Pay Band	Grade Pay	Revised Basic Pay
8,000	15,600	5,400	21,000
8,275	15,600	5,400	21,000
8,550	15,910	5,400	21,310
8,825	16,420	5,400	21,820
9,100	16,930	5,400	22,330
9,375	17,440	5,400	22,840
9,650	17,950	5,400	23,350
9,925	18,470	5,400	23,870
10,200	18,980	5,400	24,380
10,475	19,490	5,400	24,890
10,750	20,000	5,400	25,400
11,025	20,510	5,400	25,910
11,300	21,020	5,400	26,420
11,575	21,530	5,400	26,930
11,850	22,050	5,400	27,450
12,125	22,560	5,400	27,960
12,400	23,070	5,400	28,470
12,675	23,580	5,400	28,980
12,950	24,090	5,400	29,490
13,225	24,600	5,400	30,000
13,500	25,110	5,400	30,510
13,775	25,630	5,400	31,030
14,050	26,140	5,400	31,540
14,325	26,650	5,400	32,050

Pre-revised scale [illegible]
Rs.10000-325-15200

Revised Pay Band + Grade Pay
PB-3 Rs.15600-39100 + 6600

Pre-revised Basic Pay	Revised Pay		
	Pay in the Pay Band	Grade Pay	Revised Basic Pay
10,000	18,600	6,600	25,200
10,325	19,210	6,600	25,810
10,650	19,810	6,600	26,410
10,975	20,420	6,600	27,020
11,300	21,020	6,600	27,620
11,625	21,630	6,600	28,230
11,950	22,230	6,600	28,830
12,275	22,840	6,600	29,440
12,600	23,440	6,600	30,040
12,925	24,050	6,600	30,650
13,250	24,650	6,600	31,250
13,575	25,250	6,600	31,850
13,900	25,860	6,600	32,460
14,225	26,460	6,600	33,060
14,550	27,070	6,600	33,670
14,875	27,670	6,600	34,270
15,200	28,280	6,600	34,880
15,525	28,880	6,600	35,480
15,850	29,490	6,600	36,090
16,175	30,090	6,600	36,690

Pre-revised scale
Rs.10650-325-15850

Revised Pay Band + Grade Pay
PB-3 Rs.15600-39100 + 6600

Pre-revised Basic Pay	Revised Pay		
	Pay in the Pay Band	Grade Pay	Revised Basic Pay
10,650	19,810	6,600	26,410
10,975	20,420	6,600	27,020
11,300	21,020	6,600	27,620
11,625	21,630	6,600	28,230
11,950	22,230	6,600	28,830
12,275	22,840	6,600	29,440
12,600	23,440	6,600	30,040
12,925	24,050	6,600	30,650
13,250	24,650	6,600	31,250
13,575	25,250	6,600	31,850
13,900	25,860	6,600	32,460
14,225	26,460	6,600	33,060
14,550	27,070	6,600	33,670
14,875	27,670	6,600	34,270
15,200	28,280	6,600	34,880
15,525	28,880	6,600	35,480
15,850	29,490	6,600	36,090
16,175	30,090	6,600	36,690
16,500	30,690	6,600	37,290
16,825	31,300	6,600	37,900

Pre-revised scale
Rs.12000-375-16500

Revised Pay Band + Grade Pay
PB-3 Rs.15600-39100 + 7600

Pre-revised Basic Pay	Revised Pay		
	Pay in the Pay Band	Grade Pay	Revised Basic Pay
12,000	22,320	7,600	29,920
12,375	23,020	7,600	30,620
12,750	23,720	7,600	31,320
13,125	24,420	7,600	32,020
13,500	25,110	7,600	32,710
13,875	25,810	7,600	33,410
14,250	26,510	7,600	34,110
14,625	27,210	7,600	34,810
15,000	27,900	7,600	35,500
15,375	28,600	7,600	36,200
15,750	29,300	7,600	36,900
16,125	30,000	7,600	37,600
16,500	30,690	7,600	38,290
16,875	31,390	7,600	38,990
17,250	32,090	7,600	39,690
17,625	32,790	7,600	40,390

Pre-revised scale
Rs.14300-400-18300

Revised Pay Band + Grade Pay
PB-4 Rs.37400-67000 + 8700

Pre-revised Basic Pay	Revised Pay		
	Pay in the Pay Band	Grade Pay	Revised Basic Pay
14,300	37,400	8,700	46,100
14,700	37,400	8,700	46,100
15,100	38,530	8,700	47,230
15,500	38,530	8,700	47,230
15,900	39,690	8,700	48,390
16,300	39,690	8,700	48,390
16,700	40,890	8,700	49,590
17,100	40,890	8,700	49,590
17,500	42,120	8,700	50,820
17,900	42,120	8,700	50,820
18,300	43,390	8,700	52,090
18,700	*43,390*	*8,700*	*52,090*
19,100	*44,700*	*8,700*	*53,400*
19,500	*44,700*	*8,700*	*53,400*

Pre-revised scale
Rs.16400-450-20000

Revised Pay Band + Grade Pay
PB-4 Rs.37400-67000 + 8900

Pre-revised Basic Pay	Revised Pay		
	Pay in the Pay Band	Grade Pay	Revised Basic Pay
16,400	39,690	8,900	48,590
16,850	40,890	8,900	49,790
17,300	40,890	8,900	49,790
17,750	42,120	8,900	51,020
18,200	42,120	8,900	51,020
18,650	43,390	8,900	52,290
19,100	43,390	8,900	52,290
19,550	44,700	8,900	53,600
20,000	44,700	8,900	53,600
20,450	46,050	8,900	54,950
20,900	46,050	8,900	54,950
21,350	47,440	8,900	56,340

Pre-revised scale
Rs.18400-500-22400

Revised Pay Band + Grade Pay
PB-4 Rs.37400-67000 + 10000

Pre-revised Basic Pay	Revised Pay		
	Pay in the Pay Band	Grade Pay	Revised Basic Pay
18,400	44,700	10,000	54,700
18,900	46,050	10,000	56,050
19,400	46,050	10,000	56,050
19,900	47,440	10,000	57,440
20,400	47,440	10,000	57,440
20,900	48,870	10,000	58,870
21,400	48,870	10,000	58,870
21,900	50,340	10,000	60,340
22,400	51,850	10,000	61,850
22,900	*53,410*	*10,000*	*63,410*
23,400	*55,020*	*10,000*	*65,020*
23,900	*56,680*	*10,000*	*66,680*

Note : The last three stages in each of the pay scales above relates to fixation for those drawing stagnation increment in the pre-revised scale

Pre-revised scale
Rs.22400-525-24500

Revised Pay Band + Grade Pay
PB-4 Rs.37400-67000 + 12000

Pre-revised Basic Pay	Revised Pay		
	Pay in the Pay Band	Grade Pay	Revised Basic Pay
22,400	51,850	12,000	63,850
22,925	53,410	12,000	65,410
23,450	55,020	12,000	67,020
23,975	56,680	12,000	68,680
24,500	58,380	12,000	70,380

Pre-revised scale	Revised Pay Scale
Rs.26000 (fixed)	Apex Scale Rs.80000 (fixed)

Pre-revised Basic Pay	Revised Basic Pay
26000 (fixed)	80,000 (fixed)

शासनादेश संख्या 396-xxvii(7) का संलग्नक–3

विकल्प फार्म

*(1) मैं———————————————— दिनांक 1जनवरी,2006 से लागू संशोधित वेतनमान का चयन करता/करती हूँ ।

*(1) मैं———————————————— मेरा मूल/स्थानापन्न पद नीचे दिये गये वेतनमान पर आगे भी बने रहने के विकल्प का चयन करता/करती हूँ।

* मेरी अगली वेतनवृद्धि की तारीख

मेरी बाद की वेतनवृद्धि की तारीख

———————— रूपये हो जाये ।

मैं, मौजूदा वेतनमान में वेतन लेना

बन्द कर दूँ/छोड दूँ ।

मौजूदा वेतनमान————————————————

हस्ताक्षर ————————

नाम————————

पदनाम————————

कार्यरत कार्यालय का नाम————————

दिनांक:

स्टेशन:

*यदि लागू न, तो काट दिया जाय।